

**न्यायालय: दीपक कुमार कोशले, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़, छ.ग.**

**विविध आदेश**

क्रमांक-क्यू/सीजेएम/रि./2023

रायगढ़ दिनांक 29/11/2023

मैं दीपक कुमार कोशले, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) धारा, 15(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला न्यायालय, रायगढ़ क्षेत्राधिकार में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य माह दिसम्बर-2023 के सार्वजनिक अवकाश के लिए निम्नानुसार रिमाण्ड ड्यूटी लगाता हूँ: -

श्री भास्कर मिश्र न्या0 मजि0 प्रथम श्रेणी रायगढ़	श्री गुलापन राम यादव न्या0 मजि0 प्रथम श्रेणी रायगढ़	श्री नीरज श्रीवास्तव न्या0 मजि0 प्रथम श्रेणी रायगढ़
16/12/2023	17/12/2023	24/12/2023 25/12/2023
श्री निलेश जगदल्ला न्या0 मजि0 प्रथम श्रेणी रायगढ़	सुश्री प्रीति नागवंशी न्या0 मजि0 प्रथम श्रेणी रायगढ़	सुश्री प्रांजली नेताम न्या0 मजि0 प्रथम श्रेणी रायगढ़
18/12/2023	31/12/2023	03/12/2023
श्री सौरभ बारा न्या0 मजि0 प्रथम श्रेणी रायगढ़		
09/12/2023 10/12/2023		

**टीप:-(01)** उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी तिथि को 03.00 बजे से 05.00 बजे अपने न्यायालयीन स्टाँफ के साथ अपने न्यायालय कक्ष में आवश्यक दायित्व कार्य सम्पादित करेंगे। यदि कोई मजिस्ट्रेट किन्हीं कारणों से रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ रहते है या अवकाश लेते है, तो पूर्व में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे एवं रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तन के पश्चात् ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित कर मुख्यालय छोड़ेंगे।

**(02)** यदि किसी कारणवश कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी के दिन अवकाश पर रहता है तो कार्य विभाजन पत्र के अनुसार या अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहमति लिया जाकर रिमाण्ड परिवर्तन किया जा सकेगा।

**(03)** यदि माह दिसम्बर -2023 में किसी तिथि को आकस्मिक अवकाश घोषित होती है, तो इस दशा में सुश्री प्रांजलि नेताम, जेएमएफसी रायगढ़ और उनके अनुपस्थिति की दशा में श्री सौरभ बारा, जेएमएफसी रायगढ़ रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे।

सही /-

(दीपक कुमार कोशले)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
रायगढ़ (छ.ग.)

प्रतिलिपि:-

01. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
02. श्रीमान् विशेष न्यायाधीश (एस सी/एस टी एक्ट)/(एफटीसी)/(पास्को एक्ट) रायगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
03. श्रीमान् प्रथम/पंचम/एन.डी.पी.एस. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
04. श्रीमान् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश घरघोड़ा की ओर सादर सूचनार्थ।
05. श्री भास्कर मिश्र, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
06. श्री गुलापन राम यादव, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
07. सुश्री प्रीति नागवंशी, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
08. श्री सौरभ बारा न्या० मजि० प्रथम श्रेणी रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
09. श्री निलेश जगदल्ला न्या० मजि० प्रथम श्रेणी रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
10. श्री नीरज श्रीवास्तव, न्या० मजि० प्रथम श्रेणी रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
11. सुश्री प्रांजली नेताम, न्या० मजि० प्रथम श्रेणी रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
12. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरसिया/घरघोड़ा/धरमजयगढ़ को सूचनार्थ।
13. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ को सूचनार्थ।
14. पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
15. जिला अभियोजन अधिकारी, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
16. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, रायगढ़ जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
17. श्री विवेक मिश्रा, चीफ लिगल डिफेंस कॉन्सिल रायगढ़, को सूचनार्थ ।
18. प्रस्तुतकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायगढ़ को सूचनार्थ।
19. सिस्टम आफिसर, रायगढ़ को सूचना प्रेषित करने हेतु।

स्थान-रायगढ़

दिनांक-29/11/2023

सही /-

(दीपक कुमार कोशले)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
रायगढ़ (छ.ग.)